प्रेस नोट
दिनांक 19.04.2026

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा चोरी करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के पर्यवेक्षण में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–343/2026 धारा 303(2),317(2) बीएनएस से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त– लड्डन पुत्र मो0 सिद्दि निवासी महराजगंज थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद चोरी का सिलेण्डर बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 18.04.2026 को वादी श्यामजी पुत्र अवधेश कुमार मिश्रा निवासी महराजगंज, थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा द्वारा एक लिखित तहरीर दी गयी, जिसमें बताया गया कि वह गैस एजेंसी में होम डिलीवरी का कार्य करता है तथा अभियुक्त द्वारा एक गैस सिलेंडर चोरी कर लिया गया, जिसकी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आरोपी अभियुक्त– लड्डन पुत्र मो0 सिद्दि निवासी महराजगंज थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद चोरी का सिलेण्डर बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. लड्डन पुत्र मो0 सिद्दि निवासी महराजगंज थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–343/2026 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद सिलेण्डर।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 अविनाश सिंह मय टीम।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 19.04.2026

जनपद गोण्डा में अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह रोकथाम हेतु चलाया गया विशेष जागरूकता अभियान

शासन के निर्देशानुसार एवं मिशन शक्ति 5.0 विशेष अभियान के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन को सुदृढ़ किए जाने हेतु तथा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्देशानुसार बाल विवाह रोकथाम के क्रम में आज दिनांक 19.04.2026 को पवित्र पर्व अक्षय तृतीया के अवसर पर जनपद गोण्डा में विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के आदेशानुसार एवं अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी (सदर) के निर्देशन में थाना ए0एच0टी0, अपराजिता सामाजिक समिति, वन स्टॉप सेंटर, चाइल्ड हेल्पलाइन एवं महिला कल्याण विभाग की संयुक्त टीम द्वारा थाना कोतवाली नगर, उमरी बेगमगंज एवं खरगूपुर क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक स्थलोंकृदुःखहरननाथ मंदिर, खैरा भवानी मंदिर, काली माता मंदिर, मां बाराही देवी मंदिर एवं पृथ्वीनाथ मंदिरकृके आसपास सघन चेकिंग व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अभियान के दौरान आमजन को बाल विवाह के दुष्परिणामों एवं बाल विवाह निषेध अधिनियम के अंतर्गत दण्डात्मक प्रावधानों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई तथा लोगों से अपील की गई कि वे इस कुप्रथा के विरुद्ध आगे आएं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें। दौराने अभियान दुःखहरननाथ मंदिर परिसर में बाल विवाह से संबंधित एक प्रकरण प्रकाश में आया, जिसमें दोनों पक्ष अपने–अपने बच्चों के साथ उपस्थित पाए गए। पूछताछ में उनके द्वारा लगभग एक माह पश्चात विवाह किए जाने की बात बताई गई। संयुक्त टीम द्वारा दोनों पक्षों को बाल विवाह की वैधानिक निषेधता से अवगत कराते हुए सख्त चेतावनी दी गई कि यदि बाल विवाह का प्रयास किया गया तो उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी।

जनपद पुलिस द्वारा स्पष्ट किया गया है कि बाल विवाह जैसे अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है तथा ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही जनसामान्य से अपील की गई है कि समाज से इस कुरीति को समाप्त करने में प्रशासन का सहयोग करें।

मीडिया सेल, गोण्डा।